भारत में 'व्यवसाय करने की आसानी' में सुधार लाने हेतु बड़ी पहलें।

भारत सरकार ने 'व्यवसाय करने की आसानी' में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। शासन को और अधिक कार्यक्षम तथा कारगर बनाने के वास्ते मौजूदा नियमों को सरल तथा तर्कसंगत बनाने तथा सूचना प्रौद्योगिक शुरू करने पर जोर दिया गया है। किए गए उपाय इस प्रकार हैः

1. औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) तथा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और यह सेवा अब उद्यमियों के लिए ई बिज वेबसाइट पर सातों दिन चौबीसों घण्टे उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप आवेदन दायर करना तथा सेवा प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो गया है। निम्नलिखित 14 सेवाओं को ई-बिज पोर्टल, जो कि विभिन्न सरकारों तथा सरकारी एजेंसियों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की पोर्टल के रुप में कार्य करेगा, के साथ जोड़ दिया गया हैः-

क. औद्योगिक लाइसेंस (डीआईपीपी)	ख. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (डीआईपीपी)
ग. ईएसआईसी में नियोक्ता पंजीकरण	घ. ईपीएफओ में नियोक्ता पंजीकरण
ङ. कंपनी नाम की उपलब्धता (एमसीए)	च. निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आबंटन
छ. कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र	ज. व्यवसाय शुरू होने (एमसीए) की घोषणा
झ. आरबीआई का विदेश सहयोग - सामान्य अनुमति मार्ग	ञ. अग्रिम विदेशी धनपारेषण (आरबीआई)
ट. स्थायी लेखा संख्या (पीएएन)	ठ. कर कटौती लेखा संख्या (टीएएन)
ड. विस्फोटक लाइसेंस जारी करना (पीईएसओ)	ढ. आयातक-निर्यातक कूट (आईईसी-डीजीएफटी)

2. आयात-निर्यात हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या को तीन तक सीमित करने के लिए डीजीएफटी द्वारा 12.03.2015 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

3. कार्पोरेट मामले मंत्रालय ने किसी कंपनी के निगमत हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया की शुरूआत की है, जिसमें आवेदक निगमन आवेदन के साथ निदेशक पहचान संख्या तथा कंपनी नाम उपलब्धता हेतु साथ-साथ आवेदन कर सकते हैं [आईएनसी-29]

4. कंपनियों के लिए न्युनतम प्रदत्त पूंजी तथा सामान्य सील की अपेक्षाओं को हटाने के लिए कंपनी संशोधन अधिनियम, 2015 पारित किया गया है। इसमें अनेक अन्य विनियामक अपेक्षाओं को भी सरल बनाया गया है।

5. राज्यों द्वारा मंजूरी प्रदान करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही परिसंपत्तियों का एक तुलनात्मक अध्ययन मैसर्स एक्सेंजर सर्विसेज (पी) लि. के माध्यम से किया गया था तथा छः बेहतरीन परिसंपत्तियों की पहचान की गई थी। इसे समान मूल्यांकन तथा आत्मसातकरण हेतु सभी राज्यों के मध्य परिचालित किया गया था। इस अध्ययन में उद्योगों के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण अवरोधों तथा राज्यों में व्यवसाय परिवेश में सुधार लाने हेतु अपेक्षित महत्वपूर्ण कदमों की भी पहचान की गई है।

6. औद्योगिक लाइसेंस (आईएल) तथा औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएल) के लिए आवेदन फार्मों को भी सरल बनाया गया है।

7. औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्रेस नोट 3 (2014) के द्वारा रक्षा उत्पादों की सूची जारी की गई है जिसमें बड़ी संख्या में हिस्सो/संघटकों, सांचों/ढलाई आदि को औद्योगिक लाइसेंस की परिधि से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार दोहरे इस्तेमाल के उत्पादों जिनका सैन्य तथा असैनिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग होता है, (रक्षा मद के रुप वर्गीकृत किए जाने तक) के लिए रक्षा की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इन मदों के लिए केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) दायर करना होगा।

8. प्रेस नोट संख्या 5(2014) के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। ऐसा करने से लाइसेंसधारियों को भूमि

अधिग्रहीत करने तथा प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।

9. गृह मंत्रालय ने यह अनुबंधित किया है कि वह औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को 12 सप्ताह के भीतर सुरक्षा मंजूरी प्रदान करेगा। विस्फोटक तथा एफआईपीबी मामलों से इतर मुद्दों के लिए सुरक्षा मंजूरी तीन वर्ष के लिए वैध है जब तक कि प्रबंधन अथवा शेयर धारित के स्वरूप में कोई परिवर्तन न हो।

10. आंशिक उत्पादन की शुरूआत को लाइसेंस में शामिल सभी-मदों के उत्पादन की शुरूआत माना जा रहा है। ऐसा करने से लाइसेंसधारियों द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद भी उन्हें अपने लाइसेंस का समय बढ़वाने में आने वाली कठिनाई दूर होगी।

11. निवेशकों की सुविधा के लिए तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदकों द्वारा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) तैयार किए गए तथा इन्हें डीआईपीपी की वेबसाइट पर डाला गया है।

12. प्रेस नोट 4(2014) के अंतर्गत एनआईसी कोड एनआईसी 2008 अपनाया गया है जो औद्योगिक वर्गीकरण का उन्नत संस्करण है। इस कूट से भारतीय व्यवसायी वैश्विक रूप से मान्य तथा स्वीकृत वर्गीकरण का हिस्सा बन सकेंगे जिससे निर्बाध अनुमोदन/पंजीकरण आसान हो जाता है।

13. प्रेस नोट 6 (2014), के अंतर्गत 'लाइसेंसगत रक्षा उद्योग के लिए सुरक्षा नियमावली' जारी की गई है। इससे आवेदकों से शपथपत्र लेने की अपेक्षा नहीं रहेगी। पूर्व में यह पुष्टि करने के लिए कि वे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित संरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे, आवेदकों से न्यायिक मजिस्ट्रैट के समक्ष एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। ऐसा शपथपत्र प्राप्त करने में आवेदकों की कठिनाई को सामना करना पड़ता था तथा इससे लाइसेंस समिति के अनुमोदन के बाद भी लाइसेंस जारी करने में अत्यधिक विलंब होता था।

14. खुदरा/एनआरआई/ईओयू विदेशी निवेश से संबद्ध मामलों में विदेशी निवेशकों द्वारा दायर सभी आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट समय सीमा से युक्त एक जांच सूची तैयार की गई है। इसे डीआईपीपी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

15. व्यवसाय के समग्र कार्यकाल के दौरान निवेशकों का मार्ग दर्शन, सहायता तथा सहयोग करने के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' में एक निवेशक सुविधा केंद्र का गठन किया गया है।

16. एसईजेड इकाइयों को स्वयं-साक्ष्यांकन पर मरम्मत, प्रतिस्थापन, परीक्षण, कैलिब्रेशन, गुणतापरीक्षण, अनुसंधान एवं विकास हेतु माल हटाने की अनुमति है।

17. पर्यावरण तथा वन संबंधी मंजूरियों के वास्ते आवेदन करने की प्रक्रिया को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पोर्टल http://environmentclearance/ तथा http://forestsclearance.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है।

18. 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र से 150,000 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र के शैक्षिक संस्था के वास्ते औद्योगिक शेड, स्कूल, कालेज, हास्टल हेतु पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट की अपेक्षा अपेक्षित है।

19. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में पंजीकरण संबंधी मुद्दे को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक ईएसआईसी तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ उठाया गया था। दोनों प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया गया है तथा ईएसआईसी पंजीकरण संख्या तुरंत आधार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

20. बैंकर समिति के माध्यम से एमएसएमई के पुनरुद्धार तथा पुनर्स्थापन को सुकर बनाने संबंधी एक आदेश एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

21. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एलआईएन हेतु इकाइयों के पंजीकरण, निरीक्षण की रिपोर्ट विवरणियां प्रस्तुत करने तथा शिकायत निवारण के वास्ते एक एकीकृत पोर्टल की शुरूआत की गई है।

22. डीआईपीपी ने विनियामक परिवेश को सरल तथा युक्तियुक्त बनाने के लिए भारत सरकार के सभी सचिवों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है विनियामक व्यवसाय परिवेश को सुधारने के लिए उनसे प्राथमिकता आधार पर निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया गया हैः-

क. सभी विवरणियां एक एकीकृत फार्म के जरिए ऑनलाइन दायर की जानी चाहिए।

ख. अपेक्षित अनुपालनों की एक जांच सूची विभाग के वेबपोर्टल पर डाली जानी चाहिए।

ग. व्यवसाय द्वारा रखे जाने सभी रजिस्टरों के स्थान पर एक एकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर होना चाहिए।

घ. विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के बिना कोई निरीक्षण नहीं होना चाहिए।

ङ. सभी गैर-जोखिम तथा गैर-खतरा व्यवसायों के लिए एक स्वयं प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत की जानी चाहिए।

23. महाराष्ट्र सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2015 को वेट और पेशेवर कर की पंजीकरण प्रक्रिया को एक एकल आईडी के साथ एक एकल प्रक्रिया में मिला दिया गया है।

24. दिल्ली में वैट के पंजीकरण को ऑनलाइन कर दिया गया है। टिन का आबंटन तुरंत किया जाता है, टिन संख्या मिलते ही व्यवसाय़ तुरंत शुरू किया जा सकता है।

25. मुम्बई में बिजली क्नैक्शन समय सीमा को 67 से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इसमें शामिल प्रक्रियाओं को मौजूदा 7 से घटाकर 3 कर दिया गया है।

26. कम प्रक्रिया तथा समय के साथ दिल्ली में नए बिजली क्नैक्शन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।

27. दिल्ली नगर निगम द्वारा आवासीय तथा औद्योगिक भवनों के लिए निर्माण की अनुमति प्रदान करने हेतु 16 मार्च, 2015 को तथा वाणिज्यिक भवनों के लिए मई, 2015 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।